

कार्यालय प्रश्न सं. [क. 2394] व बन्दोबस्त मध्य प्रदेश

कमल 1/95/1181.प्र./आ.चि.शा./म.प्र./2012

प्रति,

अधीक्षक भू-अभिलेख,

भू-अभिलेख शाखा

कलेक्टर जिला-सुरभारत

(म.प्र.)

गयालियर दिनांक 19/2/2012 (5)

विषय - माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. ए 0969 मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने वाक्य ।
संदर्भ - (1) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का समस्त कलेक्टरों को सम्बोधित तथा इस कार्यालय को भूजित पत्र क्र.एक 11-1/2010/सात-शा.6 भोपाल दिनांक 8 जुलाई 2011.
(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 731/1181.प्र./आ.चि.शा./म.प्र./2012 गयालियर दिनांक 16.4.2012.

अधिकांश विषय पर संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कह कर । विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त गयालियर में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक 2.6.2012 को अर्पित की गई पैठान में मान.आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता में विहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए ऐसे मजरे टोलों को चिन्हांकित करें, जिन्हें राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है ।

- अतः मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित के लिये निम्नलिखित लापसपूर्ण अपनाये जायें -
- (क) भू-राजस्व ग्राम से मजरे टोलों की दूरी लगभग 2 कि.मी.वा अधिक होनी चाहिये ।
 - (ख) अक्षांश बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो, तथा पृथक हुए उक्त ग्राम की सीमाओं 200 मी. होनी चाहिये ।
 - (ग) पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की चतुर्सीमायें मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से मिलनी चाहिये, मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमायें मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर ही स्थित न रहें ।

अतः उपरोक्त अवसर के मौकड़ों एवं म.प्र.भू-राजस्व संहिता में विहित प्रावधानों को ध्यान रखते हुए जिले में, मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु चिन्हांकित कर सूची, एवं सृजित किये जा रहे, राजस्व ग्रामों के मानचित्रों की प्रति, के साथ, औचित्यपूर्ण प्रस्ताव निर्देशानुसार 15 से 20 दिवस के अन्दर प्राथमिकता देकर तैयार कर इस कार्यालय को भिजवायें ।

मजरे टोलों से बनाये जाने वाले नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव, चिन्हांकित मजरे टोलों की नामवार सूची, मानचित्र, नुसखे हों, इस तथ्य का विधाना ध्यान रखे जाने कायम आदेशित किया जाता है ।

संकेत आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश

- कलेक्टर जिला **समस्ती** म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए
लेख है कि अधीनस्थ को विषयवर्तित जानकारी के, प्रस्ताव 15 से 20 दिवस के भीतर निर्देशानुसार तैयार
कराये जाकर इस कार्यालय को भिजवाये जाने हेतु कृपया आदेशित करने का कष्ट करें।
- 2- क्षेत्रीय उप आयुक्त भू-अभिलेख जिला **समस्ती** म.प्र. की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु।


संयुक्त आयुक्त
भू-अभिलेख एवं वन्दोमस्त
राज्य प्रदेश